

UPLK190010962023



Arbitration Case No.-80/2023

**M/s Active Construction
Vs.
Managing Director & Others**

दिनांक 02.07.2026:-

पुकार गया। बार-बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रालवी के अवलोकन से विदित होता है कि याची विगत 03 तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। याची की ओर से कोई मोहलत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याची को उक्त वाद आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः याची की अनुपस्थिति के कारण याची की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका याची की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सत्यदेव गुप्ता)

पीठासीन अधिकारी,
कामर्शियल कोर्ट नं०-1, लखनऊ
आई०डी० यू०पी० 6018